भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

**लोक सभा**
अतारांकित प्रश्न संख्या **5638**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025/14 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है।

**आत्मनिर्भर पहल**

**5638. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रसायनों और उर्वरकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) उर्वरक उत्पादन के लिए आयातित कच्चे माल पर देश की निर्भरता को कम करने में क्या प्रगति हुई है और किसानों के लिए स्थिर मूल्य निर्धारण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) इस पहल के तहत स्थापित नई विनिर्माण इकाइयों की संख्या कितनी है और सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है; और
(घ) रासायनिक और उर्वरक उद्योगों में पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय लागू किए गए हैं?

**उत्तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

---

**(क) और (ग):** देश में रसायनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, विभाग ने अवसंरचना में सुधार लाकर, क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की भूमिका को बढ़ावा देकर, बेहतर कौशल विकास द्वारा क्षेत्र में तैनात जनशक्ति की गुणवत्ता में सुधार लाकर और देश में अधिक विदेशी निवेश लाकर एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इन पहलों का विवरण नीचे दिया गया है:-

**I. अवसंरचना**

- **पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर):**

भारत सरकार ने पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों (पीसीपीआईआर) में निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन के लिए पीसीपीआईआर नीति अधिसूचित की है। पीसीपीआईआर रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्रों को बडे पैमाने पर एकीकृत एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से संवर्धित

करते हैं। पीसीपीआईआर बिजनेस स्थापित करने के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश प्रदान करने हेतु सामान्य अवसंरचना एवं सहायक सेवाओं के साथ क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण से संकल्पित हैं। वर्तमान में, इन क्षेत्रों में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम), गुजरात (दाहेज) और ओडिशा (पारादीप) राज्यों में तीन पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

इन पीसीपीआईआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे दी गई है -

| **संकेतक** | **गुजरात** | **आंध्र प्रदेश** | **ओडिशा** | **कुल** |
|---|---|---|---|---|
| स्थान/क्षेत्र | दाहेज, भरूच | विशाखापत्तनम-काकीनाडा | पारादीप | - |
| अनुमोदन | फ़रवरी, 2009 | फ़रवरी, 2009 | दिसंबर, 2010 | - |
| कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | 453.00 | 640.00 | 284.15 | 1377.15 |
| एंकर टेनेंट | ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) | -- | इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) | - |
| किए गए निवेश (करोड़ रुपये में) | 1,28,509 | 58,918 | 73,518 | 2,60,945 |
| रोजगार सृजन (सं.) | 2,45,140 | 86,123 | 40,000 | 3,71,263 |
| रासायनिक इकाइयों की संख्या | 2079 | 154 | 13 | 2246 |

इन पीसीपीआईआर से पेट्रोलियम, रसायन, पेट्रोरसायन और सहायक उद्योगों में 2.61 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 3.7 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित हुआ है।

- **प्लास्टिक पार्क स्कीम**

विभाग द्वारा अपेक्षित अवसंरचना और समर्थकारी सामान्य सुविधाओं के साथ आवश्यकता आधारित प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए एक स्कीम तैयार की गई है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन में सहायता करने के लिए डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित और संगठित करना है। इस स्कीम के तहत, औद्योगिक इकाइयों के लिए बहिस्त्राव शोधन संयंत्र, ठोस/जोखिमपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक पुनर्चक्रण की सुविधाएं, भस्मक आदि सहित सामान्य अवसंरचना प्रदान की जाती हैं। कुछ प्लास्टिक पार्कों ने प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए इन-हाउस रीसाइक्लिंग शेड भी स्थापित किए हैं। अब तक 10 प्लास्टिक पार्कों को अनुमोदित किया गया है।

## II. अनुसंधान और विकास

- **उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)**

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना के लिए एक स्कीम तैयार की है। इसका उद्देश्य मौजूदा प्रौद्योगिकी में सुधार करने और पॉलिमर, रसायन एवं प्लास्टिक के नए

अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों को अनुदान सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम में उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ मौजूदा विनिर्माण प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन पर बल दिया गया है। इस स्कीम के तहत, भारत सरकार 5 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा तक कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के अंतर्गत अब तक 18 उत्कृष्टता केंद्र अनुमोदित किए गए हैं।

**III. कौशल पहलें**

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी) विभाग के अधीन एक तकनीकी शिक्षा संस्थान है जो देश में पेट्रोरसायन और संबद्ध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी समर्थन, के साथ-साथ अकादमिक और अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न है। सीआईपीईटी के देश भर में 48 केंद्र हैं जिनमें प्लास्टिक प्रौद्योगिकी संस्थान, कौशल और तकनीकी सहायता केंद्र एवं पॉलिमर में उन्नत अनुसंधान के लिए स्कूल शामिल हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, सीआईपीईटी ने 66,606 व्यक्तियों को दीर्घकालिक व्यावसायिक कौशल विकास के साथ-साथ अल्पकालिक वोकेशनल कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया।

यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-III यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा कार्यकुशल हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान हुई 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़कर वर्तमान में 283.74 एलएमटीपीए हो गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ाकर अधिकतम करने के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से वर्ष 2014-15 के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए का अतिरिक्त यूरिया उत्पादन हुआ है।

उपर्युक्त सभी उपायों से यूरिया उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 314.07 एलएमटी का रिकार्ड यूरिया उत्पादन हुआ है।

हिंदुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) में इसकी तीन यूरिया इकाइयों- गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में रोजगार सृजन लगभग 4,000 है, जिसमें 1,000 प्रत्यक्ष और 3,000 अप्रत्यक्ष नौकरियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई में, विपणन नेटवर्क सहित मौजूदा सेटअप में प्रदान की गई कुल नौकरियां 1,391 (दिनांक 31.03.2025 तक) है, जिसमें 471 कंपनी के कर्मचारी और विभिन्न अनुबंधों के तहत और 920 संविदात्मक श्रमिक शामिल हैं। इसके अलावा, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गडेपन-III यूरिया इकाई ने लगभग 767 नौकरियां सृजित की हैं, जिसमें 207 प्रत्यक्ष (ऑन-रोल) कर्मचारी और 560 अप्रत्यक्ष (अनुबंध के माध्यम से) कर्मचारी शामिल हैं।

पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में, उर्वरकों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) अनुरोधों के आधार पर, उत्पादन को बढ़ावा देने और देश को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को मान्यता दी गई/रिकार्ड में लिया गया है।

(ii) उत्पादन को बढ़ावा देने और देश को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए पीएण्डके उर्वरकों की संख्या वर्ष 2021 में 22 ग्रेड से बढ़ाकर वर्तमान में 28 ग्रेड की गई है। जोड़े गए 06 नए ग्रेड एनपीके 08-21-21, एनपीके 09-24-24, शीरे से प्राप्त पोटाश (पीडीएम) (0-0-14.5-0), मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन और सल्फर से संपुष्ट एनपीके 11-30-14, यूरिया-एसएसपी कॉम्प्लेक्स 5-15-0-10 और मैग्नीशियम, जिंक और बोरॉन से संपुष्ट एसएसपी 0-16-0-11 हैं।

(iii) एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है पर मालभाड़ा सब्सिडी, मृदा को फॉस्फेटयुक्त अथवा 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने हेतु एसएसपी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खरीफ, 2022 से लागू है।

**(ख):** सरकार ने ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित मैसर्स एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने का अधिदेश दिया है। तदनुसार, मैसर्स तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी को 12.7 एलएमटीपीए क्षमता का कोयला गैसीकरण आधारित अमोनिया यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए निगमित किया गया है, जो भारत में अपनी तरह का पहला संयंत्र है।

कार्यान्वयनधीन टीएफएल परियोजना की परिकल्पना यूरिया उत्पादन के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध घरेलू कोयले का उपयोग करने के लिए की गई है क्योंकि यह सर्वोत्तम संभव विकल्प के रूप में उभरा है जैसा कि देश में कोयले के समृद्ध भंडार हैं। परियोजना के पूरा होने पर, देश में यूरिया के उत्पादन में 12.7 लाख मीटन प्रति वर्ष की वृद्धि होगी और इससे यूरिया के स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करने तथा फीडस्टॉक आपूर्ति में सुरक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी क्योंकि कोयले को घरेलू स्तर पर प्राप्त किया जाएगा और इस क्षेत्र में फीडस्टॉक जोखिम को कम करके यूरिया उत्पादन का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा।

इसके अलावा, यूरिया सब्सिडी स्कीम के तहत किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 किग्रा बोरी की एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभार और यथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट

पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, देश में सभी किसानों को यूरिया की आपूर्ति सब्सिडी प्राप्त दरों पर की जाती है और इस तरह वे इस स्कीम के लाभार्थी हैं।

पीएण्डके उर्वरकों के लिए, सरकार प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की निगरानी करती है और किसानों को पीएंडके उर्वरकों की वहनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर पीएण्डके उर्वरकों हेतु एनबीएस दरें निर्धारित करते समय उतार-चढ़ाव, यदि कोई हो, को सम्मिलित किया जाता है। जहां तक डीएपी का संबंध है भू-राजनीतिक स्थिति और मूल्य अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए, किसानों को डीएपी की वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए डीएपी की एमआरपी को दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक 3500 रु. प्रति मीट्रिक टन की दर पर एक बारगी विशेष पैकेज देकर और अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों में सब्सिडी को जोड़कर 1350 रु. प्रति 50 किलोग्राम पर बनाए रखा गया है।

इसके अतिरिक्त, देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं -

i. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;

iv. डीएएंडएफडब्ल्यू और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरक भेजने की सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

**(घ):** पर्यावरण की सुरक्षा और रासायनिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत कई नियमों को अधिसूचित किया है, जिनमें (i) जोखिमपूर्ण रसायन का उत्पादन, भंडारण और आयात (एमएसआईएचसी) नियम, 1989 (यथासंशोधित), (ii) रासायनिक दुर्घटना (आपातकालीन नियोजन तैयारी और प्रतिक्रिया) नियम, 1986 (यथासंशोधित) और (iii) जोखिमपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथासंशोधित) शामिल हैं। मंत्रालय ने दिनांक 29 दिसंबर, 2017 को अधिसूचना जीएसआर 1607 (ई), के माध्यम से उर्वरक उद्योग के लिए उत्सर्जन और स्त्रावण मानकों को भी अधिसूचित किया है।

उर्वरक उद्योग पर्यावरण पर उर्वरक के उत्पादन के प्रभाव को कम करने के अपने प्रयासों में सक्रिय है। कुल मिलाकर उर्वरक उद्योग पर्यावरण सुरक्षा नियम, 1986 और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के विनियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों का अनुपालन कर रहा है। प्रदूषण नियंत्रण मानकों के अनुपालन के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को डिजाइन चरण से ही शामिल किया जाता है। उर्वरक संयंत्र आधुनिकीकरण को अपनाते हैं और नए/संशोधित मानकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपायों को अपनाते हैं। वर्षों से उद्योग ने ऊर्जा दक्षता में सुधार करके, कोयला, नेफ्था और ईंधन तेल से प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ फीडस्टॉक को अपनाकर उत्पादन से जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के उपाय किए हैं। वर्तमान में, देश में यूरिया बनाने के लिए फीडस्टॉक प्राकृतिक गैस है। उर्वरक संयंत्रों ने अपशिष्ट जल की उत्पत्ति को कम करने और इसके निपटान के लिए 3R पद्धति अर्थात कटौती, पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण को अपनाया है। उर्वरक संयंत्रों ने बहिस्त्रावों के शोधन के लिए प्रौद्योगिकियों को अपनाकर जल की खपत को कम करने और इसे बॉयलर फीड वाटर और कूलिंग टॉवरों में मेकअप वाटर के रूप में पुन उपयोग के लिए उपयुक्त बनाते के लिए अत्यधिक प्रयास किए हैं। इसके अलावा, संयंत्र शून्य तरल स्त्रावण (जेडएलडी) प्राप्त करने के उपायों को अपना रहे हैं। लगभग सभी प्रमुख उर्वरक कंपनियों द्वारा निरंतर सुधार के लिए पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली पर आईएस/आईएसओ 14001 और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ 18001 अंतर्राष्ट्रीय मानक जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक मानकों को अपनाया गया है।

*******